न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण सं0 :GCMS No 2021/380

दायरा तिथि : 01.11.2021

आदेश तिथि : 31-10-22

प्रार्थी :–

सदाराम पुत्र धर्माराम जाति देवासी
निवासी लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. पोसाराम पुत्र थानाराम जाति रबारी
2. सादलाराम पुत्र भेराराम जाति रबारी
3. सादलाराम पुत्र रामारामजी जाति रबारी **प्रतिस्थापित श्रीमति रीटा धर्मपत्नि हरीशकुमार सोनी निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली**
4. कनीदेवी पत्नि फुईयाराम जाति रबारी
5. तलसी पुत्री फुईयाराम जाति रबारी
6. भुराराम पुत्र फुईयाराम जाति रबारी
7. सुजी पुत्री फुईयाराम जाति रबारी
8. नेती पुत्र धुला के कामु. थानाराम पुत्र नेती जाति रबारी एवं कसना पुत्र नेती के कामु. सूराराम, मोडाराम,सदाराम, गजी, दरगी,पिसरान् कसना
9. ओम्बाराम पुत्र वक्ताराम जाति रबारी
10. जोगाराम पुत्र थानाराम जाति रबारी
11. जोराराम पुत्र रामीग जाति रबारी
12. मादारामपुत्र फुसाराम जाति रबारी
13. मालाराम पुत्र फुसाराम जाति रबारी
14. लाली पुत्री थानाराम जाति रबारी
15. वजाराम पुत्र थानाराम जाति रबारी
16. सवरूपाराम पुत्र फुसाराम जाति रबारी
17. हिन्दुराम पुत्र थानाराम जाति रबारी
18. सादलीया पुत्र धरमाराम जाति रबारी
19. तीतो पुत्री भीमा जाति रबारी
20. धनाराम पुत्र भीमाराम जाति रबारी
21. भेराराम पुत्र सावती रबारी फौत के कामुः सादलाराम पुत्र भेराराम क्र0सं0 –02
22. वीरू पत्नि भीमाराम जाति रबारी फौत के कामु. क्र0सं0 19 व 20
    समस्त निवासीगण लुन्दाडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
23. गलबा पुत्र माना जाति गाडोलिया निवासी लुन्दाडा तहसील बाली
24. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012
बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी सदाराम पुत्र धरमाराम जाति देवासी निवासी लुन्दाडा ने काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन हेतु रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने से ग्राम लुन्दाडा स्थित निम्न वर्णन की कृषि भूमियो मेंसे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन कियाः–

क्र0सं0	भूमि विवरण			नाम खातेदार
	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	
1	1433	0.09	बारानी अव्वल	पोसाराम पुत्र थानाराम रेबारी नि. लुन्दाडा
2	1433/1	0.09	बारानी अव्वल	सादलाराम पुत्र भेराराम रेबारी नि. लुन्दाडा
3	1434	0.13	बारानी अव्वल	श्रीमति रीटा धर्मपत्नि हरीशकुमार सोनी नि. चामुण्डेरी राणावत
4	1434/1	0.11	बारानी अव्वल	गलबा पुत्र माना जाति गाडोलिया नि. लुन्दाडा
5	1431	0.25	बारानी अव्वल	कनीदेवी पत्नि फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा तलसी पुत्री फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा भूराराम पुत्र फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा सूजी पुत्री फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा नि.लुन्दाडा

पेज लगातार 02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 :GCMS No 2021/380

अनवान सदाराम बनाम पोसाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र0सं0	भूमि विवरण			नाम खातेदार
	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	
6	1425	0.22	बारानी अव्वल	जोगाराम पुत्र थानाराम राईका 1/8 हिस्सा जोराराम पुत्र रामींग राईका 1/4 हिस्सा मादाराम पुत्र फुसाराम राईका 1/12 हिस्सा मालाराम पुत्र फुसाराम राईका 1/12 हिस्सा लाली पुत्री थानाराम राईका 1/8 हिस्सा वजाराम पुत्र थानाराम राईका 1/8 हिस्सा स्वरूपाराम पुत्र फुसाराम राईका 1/12 हिस्सा हिन्दुराम पुत्र थानाराम राईका 1/8 हिस्सा निवासीगण लुन्दाडा
7	1421	0.09	बारानी अव्वल	सादलिया पुत्र धर्माराम जाति रेबारी नि. लुन्दाडा
8	1422	0.20	बारानी अव्वल	सादलिया पुत्र धर्माराम जाति रेबारी नि. लुन्दाडा
9	1426	0.20	बारानी अव्वल	तीजो पुत्री भीमा जाति राईका 1/6 हिस्सा धनाराम पुत्र भीमा जाति राईका 1/6 हिस्सा भेरा पुत्र सावती जाति राईका 1/2 हिस्सा वीरू पत्नि भीमा जाति राईका 1/6 हिस्सा निवासीगण लुन्दाडा
10	1435	0.13	गै.मु. रास्ता	राजकीय सिवाय चक राजस्थान सरकार
11	1432	0.18	बारानी अव्वल	नेती पुत्र धुला जाति राईका निवासी लुन्दाडा
12	1424	0.25	बारानी अव्वल	ओम्बाराम पुत्र वगताराम जाति राईका निवासी लुन्दाडा

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में राजस्व रेकर्ड की प्रतियॉ तथा साथ ही खसरा नंबर 1434 की भूमिरीटा पत्नि हरीशकुमार नि. चामुण्डेरी द्वारा खरीद करने से बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी ने जांच कर रिपोर्ट निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. यह हैं कि **ग्राम लुन्दाडा तहसील बाली** के खसरा नंबर 1418 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि प्रार्थी सदाराम पुत्र धर्माराम जाति रेबारी निवासी लुन्दाडा के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। तथा आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रूट का रास्ता है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं. सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टर में)	रास्ते हेतु प्रभावित भूमि (वर्गमीटर में)	DLC के आधार पर देय राशि
1	सादलिया पुत्र धर्माराम जाति रेबारी नि. लुन्दाडा	1421	0.09 हैक्टर	192 वर्ग मीटर	**3849**
		1422	0.20 हैक्टर	72 वर्ग मीटर	
2	ओम्बाराम पुत्र वगताराम जाति राईका निवासी लुन्दाडा	1424	0.25 हैक्टर	72 वर्गमीटर	**1050**
3	जोगाराम पुत्र थानाराम राईका 1/8 हिस्सा जोराराम पुत्र रामींग राईका 1/4 हिस्सा मादाराम पुत्र फुसाराम राईका 1/12 हिस्सा मालाराम पुत्र फुसाराम राईका 1/12 हिस्सा लाली पुत्री थानाराम राईका 1/8 हिस्सा वजाराम पुत्र थानाराम राईका 1/8 हिस्सा स्वरूपाराम पुत्र फुसाराम राईका 1/12 हिस्सा हिन्दुराम पुत्र थानाराम राईका 1/8 हिस्सा निवासीगण लुन्दाडा	1425	0.22 हैक्टर	80 वर्गमीटर	**1164**
4	तीजो पुत्री भीमा जाति राईका 1/6 हिस्सा धनाराम पुत्र भीमा जाति राईका 1/6 हिस्सा भेरा पुत्र सावती जाति राईका 1/2 हिस्सा वीरू पत्नि भीमा जाति राईका 1/6 हिस्सा निवासीगण लुन्दाडा	1426	0.20 हैक्टर	64 वर्गमीटर	**933**

पेज लगातार......................03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण सं0 :GCMS No 2021/380

अनवान सदाराम बनाम पोसाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्र. सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टर में)	रास्ते हेतु प्रभावित भूमि (वर्गमीटर में)	DLC के आधार पर देय राशि
5	कनीदेवी पत्नि फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा तलसी पुत्री फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा भूराराम पुत्र फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा सूजी पुत्री फुईयाराम राईका 1/4 हिस्सा नि.लुन्दाडा	1431	0.25 हैक्टर	128 वर्ग मीटर	1866
6	नेती पुत्र धुला जाति राईका निवासी लुन्दाडा	1432	0.18 हैक्टर	72 वर्गमीटर	1050
	कुल रास्ते हेतु भूमि				9912

अपनी रिपोर्ट में निरीक्षक भू.अ. चामुण्डेरी द्वारा उपरोक्त राशि की गणना सिंचित सडक व आबादी के पास की दर 145800/—रूपये प्रति हैक्टर की तय करते हुये कुल राशि 9912X2=19824/—रूपये तय करना वर्णित किया गया।

प्रकरण में वर्णित अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 08, 21, 22 के नोटिस फौत की रिपोर्ट के साथ लौटने पर वकील प्रार्थी द्वारा इनके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर मृत अप्रार्थी संख्या 08, 21, 22 के विधिक वारिशान को रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी नोटिस तामील के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 08 के समस्त कामु., 09, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 के समस्त कामु., व 22, 23 की ओर से अधिवक्ता श्री दुदाराम चौधरी द्वारा वकालतनो्ा प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी संख्या 04, 05, 06 के नोटिस परिवार के सदस्य द्वारा लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने के बावजुद अप्रार्थी संख्या 04, 05, 06, 07 बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये जाते है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिवक्ता प्रार्थी श्री हेमंत बोहरा व अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री दुदाराम चौधरी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री दुदाराम चौधरी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को रास्ता दिये जाने पर किसी प्रकार का एतराज/ आपत्ति नहीं की गई। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05.04.2022 एवं रिपोर्ट के संलग्न निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी द्वारा दिनांक 1.10.2021 को तैयार नजरी नक्शा व रिपोर्ट में वर्णित रूट से राजकीय सिवायचक रास्ता खसरा नंबर 1435 से खसरा नंबर 1431, 1432, 1426, 1425, 1424, 1422, 1421 से होते हुये प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1418 तक नया रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्याय संगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप. 3(52) राज–6/12/ 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम लुन्दाडा पटवार हल्का, लुन्दाडा तहसील बाली में प्रार्थी द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 1418 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से उपरोक्तानुसार खसरा नंबर 1431, 1432, 1426, 1425, 1424,1422, 1421 के निजी खातेदारो की भूमियो में से कुल 680 वर्गमीटर भूमि कुल 19824/—रूपये की प्रतिकर राशि प्रभावित खातेदारान् को उनके नाम के आगे वर्णित राशि की दुगनी राशि अनुसार अदा करते हुये तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 1.10.2021 व नजरी नक्शा दिनांक 1.10. 2021 में वर्णित ट्रैक से **उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धावगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 31-10-22

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/3735-40

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. तहसीलदार, बाली/नायब तहसीलदार, नाना
2. निरीक्षक भू0अ0 चामुण्डेरी
3. पटवारी हल्का, लुन्दाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. सदाराम पुत्र धर्माराम जाति देवासी निवासी लुन्दाडा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner